



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025 (CHAITRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग  
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2025

**संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.-** हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 में, अनुसूची में,-

- (i) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 30 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) खाना 3 के नीचे, क्रम संख्या 31 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

3
“मत्स्य/झींगा पालन के लिए सौर प्रणाली हेतु परिदान;”;

- (iii) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 33 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iv) खाना 3 के नीचे, क्रम संख्या 35 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

3
“द्वितीय से पंचम वर्ष की पट्टा राशि पर परिदान;”;

- (v) खाना 3 के नीचे, क्रम संख्या 38 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

3
“वाणिज्यिक लोडिंग चौपहिया वाहन पर परिदान;”।

- (vi) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 39 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
40	मत्स्य पालन विभाग	क्रीड़ा के लिए केवल बंसी से मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति जारी करना	03 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
<b>सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के लिए परिदान</b>						
41	मत्स्य पालन विभाग	पंचायती तालाबों के सुधार हेतु परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
42	मत्स्य पालन विभाग	निजी तालाबों के सुधार हेतु परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
43	मत्स्य पालन विभाग	मछली/मछली उत्पाद की बिक्री हेतु रेहड़ी सहित (स्टोव/गैस चूल्हा, बर्तन आदि) पर परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
44	मत्स्य पालन विभाग	मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
45	मत्स्य पालन विभाग	खाद-खुराक पर परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
<b>मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों के कल्याण हेतु परिदान</b>						
46	मत्स्य पालन विभाग	मछली/मछली उत्पाद की बिक्री हेतु रेहड़ी सहित (स्टोव/गैस चूल्हा, बर्तन आदि) पर परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन
47	मत्स्य पालन विभाग	खाद-खुराक पर परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन	निदेशक मत्स्य पालन”।

अनुराग रस्तोगी,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

## HARYANA GOVERNMENT

### GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

#### Notification

The 16th April, 2025

**No. 7/31/2014-3AR.**— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 27th September, 2022, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 27th September, 2022, in the Schedule,-

- (i) under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, serial number 30 and existing entries thereagainst shall be omitted;
- (ii) under column 3, against serial number 31, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

3
“Subsidy on Solar system for fish/shrimp culture;”;

- (iii) under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, serial number 33 and existing entries thereagainst shall be omitted;
- (iv) under column 3, against serial number 35, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

3
“Subsidy on 2nd to 5th year lease money;”;

- (v) under column 3, against serial number 38, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

3
“Subsidy on Commercial loading Four Wheeler;”.

- (vi) after serial number 39 and entries thereagainst, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“40	Fisheries Department	Issue of Angling License with fishing rod only for sport	03 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
<b>Subsidy for the Intensive Fisheries Development Programme</b>						
41	Fisheries Department	Subsidy on Renovation of Panchayati Ponds	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
42	Fisheries Department	Subsidy on Renovation of own lands Ponds	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
43	Fisheries Department	Subsidy on Rehri alongwith (Stove, Gas Chulha, Utensil etc.) for the fish/fish product sale	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
44	Fisheries Department	Subsidy on Purchase of Fishing Nets	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
45	Fisheries Department	Subsidy on Inputs	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
<b>Subsidy for the welfare of Schedule Caste families in fisheries sector</b>						
46	Fisheries Department	Subsidy on Rehri alongwith (Stove, Gas Chulha, Utensil etc.) for the fish/fish product sale	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries
47	Fisheries Department	Subsidy on Inputs	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries”

ANURAG RASTOGI,  
Chief Secretary to Government Haryana.